न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 101/2023

1 सुभाषचन्द पुत्र राधेश्याम उम्र 62 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम रींगस तहसील रींगस जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र नानूराम
2 कैलाश पुत्र जगन्नाथ
समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार रींगस जिला सीकर।
4 सब रजिस्ट्रार रींगस तहसील रींगस जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का सरगोठ तहसील रींगस जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर मुकदमा नम्बर 823/2023 उनवानी बजरंगलाल वगैरह बनाम सुभाषचन्द वगैरह दिनांकित 29.09.2023 जिसे दिनांक 30.10.2023 को बहाल रखा गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–21.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस द्वारा मुकदमा नम्बर 823/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट बजरंग लाल आदि की ओर से ग्राम परसरामपुरा पटवारी हल्का सरगोठ तहसील रींगस की भूमि खसरा नम्बर 176, 176/1 से 176/3, 177, 178, 178/1 से 178/3, 180 से 182 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.09.2023 को प्रार्थी को सुनकर एकपक्षीय स्थगन जारी किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने मिथ्या कथन कर एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का विधिक आधार नहीं है। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि में कोई हक अधिकारी नहीं है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर